रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 379] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 1989/आषाढ़ 27, 1911

No. 379] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 1989/ASADHA 27, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1989

सा० का० नि. 705(अ) :—भारतीय पत्तन अधिनियम 1988 (1988 के 15 वें) की धारा 35 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कांडला पत्तन पायलटेज (शुल्क) आदेश 1988 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार, कांडला पत्तन में पायलटेज तथा अन्य सेवाओं के शुल्क की लेवी का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) यह आदेश कांडला पत्तन पायलटेज (शुल्क) आदेश 1989 कहलाएगा।

(2) यह तत्काल लागू किया जाएगा।

2. पायलटेज के लिए शुल्क :

कांडला पत्तन में पायलटेज के लिए शुल्क निम्नलिखित अनुसूची में यथा निर्दिष्ट होगा :—

पायलटेज शुल्क की अनुसूची

क्र० सं.	जलयानों का साइज (आकार)	प्रति जी आर टी पायलटेज शुल्क अथवा उसका अंश रु. पै.	
1	2	3	4
1.	3000 जी आर टी तक	3.96	प्रति जलयान 3960 रु. के न्यूनतम चार्ज की शर्त पर
2.	3001 से 10000 जी आर टी तक	5.40	
3	10001 से 15000 जी आर टी तक	4.80	प्रति जलयान 54,000 रु. का न्यूनतम दर की शर्त पर ।

1	2	3	4
4.	15,001 से 30,000 जी आर टी तक	4.80	
5.	30,001 से 60,000 जी आर टी तक	4.56	प्रति जलयान 1,4400 रु. की न्यूनतम दर की शर्त पर
6.	60,001 से 1,00,000 जी आर टी तक	4.56	
7.	1,00,001 जी आर टी और अधिक	4.56	

टिप्पणी :—1. किसी जहाज के पायलटेज शुल्क का मूल्यांकन उसके कुल जी आर टी पर उस जहाज के जी आर टी के अनुसार उपरोक्त जहाज समूहों में से सिर्फ एक के लिए दर्शाई दर पर किया जाएगा ।

2. तटीय जहाजों के संबंध में उपरोक्त दरों पर 30% की छूट दी जाएगी ।

3. पायलटेज शुल्क में बंदरगाह सीमा के भीतर इनवार्ड और आउटवार्ड पायलटेज के लिए पायलट की सेवाएं, शिफ्टिंग प्रचालन, यदि कोई है, और उसके लिए टग की उपस्थिति तथा मूरिंग लांच की सेवाएं शामिल है । इस उद्देश्य के लिए कांडला पर बन्दरगाह सीमा के भीतर शिफ्टिंग का अभिप्राय: कांडला क्रीक से प्रवेश द्वार (कांडला बार) की सीमा तक शिफ्टिंग होगा । प्रवेश द्वार से परे किसी जहाज की शिफ्टिंग अथवा इसके विपरीत क्रिया को अतिरिक्त पायलटेज क्रिया माना जाएगा जिसके लिए प्रवेश द्वार से परे प्रत्येक ऐसी शिफ्टिंग क्रिया तथा इसकी विपरीत क्रिया के लिए उपरोक्त निर्दिष्ट पायलटेज शुल्क के 50% के बराबर पायलटेज शुल्क लगेगा ।

3. पायलटेज के लिए मांगपत्र प्रस्तुत करना

(1) जब यांत्रिक रूप से चालित जहाज के इनवार्ड पायलटेज या आउटवार्ड पायलटेज या शिफ्टिंग के लिए पायलट की सेवाओं की मांग की जाती है तो पायलट के जहाज पर चढ़ने के समय से 12 घंटे का नोटिस, दिया जाएगा । तथापि, उपरोक्त निर्धारित नोटिस अवधि से कम समय में प्रस्तुत मांग पत्र हार्बर मास्टर द्वारा अपने विवेकाधिकार पर पायलटों की उपलब्धता और अन्य आकस्मिकी की शर्त पर स्वीकार किया जाएगा ।

(2) जहां हार्बर मास्टर इस बात से संतुष्ट है कि अंदर आने वाले जहाजों के लिए बर्थ की अनुपलब्धता, या ज्वार भाटे के समय या ऐसी ही परिस्थिति के कारण मांग पत्र में उल्लिखित समय और तारीख को पायलट की तैनाती नहीं की जा सकती और तो हार्बर मास्टर द्वारा पायलट के जहाज पर चढ़ने का समय व तारीख नियत किया जाएगा ।

(3) तथापि, किसी मांग पत्र की जरूरत नहीं होगी यदि किसी पायलट को जहाज के मास्टर के नियंत्रण से बाहर के आपात काल में किसी जहाज को शिफ्ट/उसको देखना पड़ता तथा इसी प्रकार की परिस्थिति ।

4. पायलटेज मांग पत्र को रद्द करना और पायलटों का अनुपयोग

(1) जब यांत्रिक रूप से चालित जहाज के इनवार्ड पायलटेज के लिए पायलट की सेवाएं मांगी जाती हैं, और यदि क्राफ्ट से छूटने से तीन घंटे से कम समय का नोटिस देकर ऐसे मांगपत्र को रद्द किया जाता है, तो रद्द करने के लिए 3600/- रुपये का शुल्क लगेगा । उसी प्रकार का यांत्रिक रूप से चालित जहाजों के आउटवार्ड पायलटेज के लिए पायलटेज की सेवाएं मांगी जाती हैं, और यदि बर्थ/पेंटी पर जहाज पर पायलट के चढ़ने के नियत समय को तीन घंटे पहले या मूरिंग या स्टीम में जहाज पर पायलट के चढ़ने के लिए जहाज छूटता है, तो रद्द करने के लिए 3600/- रुपए का शुल्क लगेगा ।

(ii) जब पायलट मांग पत्र के अनुसार अंदर आने वाले जहाज को पायलट करने के लिए पायलट स्टेशन पर जाता है और यदि पायलट को किसी जहाज जहां दुर्घटना, फंस जाने या जहाज में आग लग जाने के कारण जहाज के मास्टर के नियंत्रण के बाहर के कारणों से जहाज नहीं पहुंचने या देर से पहुंचने पर 6000/- रुपए का शुल्क लगेगा । उसी प्रकार जब पायलट मांग पत्र के अनुसार बाहर जाने वाले जहाज पर सवार होता है और यदि मौसम की खराबी या लंगर की चेन में खराबी या मास्टर के नियंत्रण के बाहर की अन्य परिस्थितियों के कारण जहाज यात्रा पर जाने में असमर्थ है, तो 6000/- का शुल्क लगेगा ।

(iii) जहां पायलट मांगपत्र के अनुसार आने वाले जहाज का पायलट करने के लिए पायलट स्टेशन पर जाता है और यदि उपरोक्त कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से लौट जाता हैं, तो 12000/- रुपए का शुल्क लगेगा । उसी प्रकार जहां पायलट मांगपत्र के अनुसार बाहर जाने वाले जहाज पर सवार होता है या जहां पायलट मूरिंग या धारा में जहाज के लिए क्राफ्ट में जाता है जिसको पायलट किया जाता है, और यदि जहाज बर्थ से छूटने के बाद यात्रा करने में असमर्थ है या यदि पायलट को बाद में मांग पत्र रद्द करने के कारण या ऊपर बताए कारणों के अतिरिक्त किसी कारण वापस आना पड़ता है, तो 84,00/- रुपए का शुल्क वसूला जाएगा ।

(iv) किसी पायलट द्वारा किसी जहाज के लिए बाहरी दूना सीमा/पायलट स्टेशन पर सेवा प्रदान की जाती है, तो 6000/- रुपए का शुल्क लगेगा ।

(v) जब पायलट को मास्टर या एजेंट के अनुरोध पर या हार्बर मास्टर के विवेकाधिकार पर बंदरगाह के भीतर या बाहर या जहाजों की बर्थिंग या अनबर्थिंग के लिए पायलटेज के अलावा या जहाजों की शिफ्टिंग के लिए जहाज को देखना पड़ता है, तो 600/- रु. या उसके अंश का उपस्थिति शुल्क लगेगी ।

5. पत्तन पर जहाज पर पायलट को डिटेन करने तथा टग को डिटेन करने का शुल्क

यदि खराब मौसम, फर्नीदिल के भाग जाने या मास्टर के नियंत्रण के बाहर के ऐसे कारणों को छोड़कर किसी कारण से पायलट को आधे घंटे से अधिक समय तक अंदर या बाहर पायलट किए जाने के लिए या शिफ्ट किए जाने के लिए रोका जाता है, तो पायलट के लिए प्रति घंटा या उसके अंश के लिए 960 रु. और टग के लिए 2040 रु. का डिटेंशन शुल्क लगेगा ।

6. पायलटेज शुल्क की लेवी से छूट

(i) 300 जी आर टी और उससे कम के जहाजों पर पायलटेज अनिवार्य नहीं होगा । तथापि ऐसा जहाज चाहे तो पायलटेज शुल्क की अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर शुल्क का भुगतान करने पर पायलट की मांग कर सकता है ।

(ii) प्रथम प्रवेश और अंतिम प्रस्थान को छोड़कर कांडला हार्बर क्राफ्ट नियम, 1955 के तहत लाइसेंस शुदा जहाजों के लिए पायलटेज अनिवार्य नहीं होगा ।

(iii) ऊपर की टिप्पणी (1) में वर्णित जहाजों को छोड़कर सभी जहाजों जो बगैर पायलट के पत्तन में आते हैं या बाहर जाते

हैं, को भारतीय पत्तन अधिनियम, 1988 (1988 का 15) के तहत अन्य जुर्मानों के अलावा अनुसूची में निर्दिष्ट पायलटेज शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

(iv) इस भाग में निर्दिष्ट दरें पायलट स्टेशन (बाहरी टूना बोया) से समुद्र की ओर 3.22 कि. मी. (दो मील) से या तक पायलटेज शुल्क है। तथापि, यदि किसी पायलट को किसी जहाज का पायलट करने के लिए पायलट स्टेशन से 3.22 कि. मी. (दो मील) से अधिक दूरी तक समुद्र में जाना पड़ता है, तो इस भाग में निर्दिष्ट दर का दोगुना पायलटेज शुल्क लगेगा पायलटों का पायलट स्टेशन (बाहरी टूना बोया) से समुद्र की ओर अधिकतम 9.66 कि. मी. (6 मील) तक जहाज में जाना सीमित होगा।

(v) जहाजों के माप और सर्वेक्षण के निम्नलिखित शुल्क लगेंगे :—

जहाज	इकाई	शुल्क की लेवी (रु.)
(1) 1000 टन से कम	प्रति जहाज	360.00
(2) 1000 टन और अधिक किसी जहाज के प्रत्येक	100 टन के लिए	72.00

7. जब पायलट को ऐसे जहाज को देखना अपेक्षित होता है, जो स्थापित हो रहे हैं या निष्क्रिय हो रहे हैं तो प्रति घंटे या उसके अंश के लिए 600/- रु० उपस्थिति शुल्क लगेगा। ऐसे जहाजों अथवा अन्य जहाजों को किसी अन्य कारण से देखने/नियंत्रित करने के लिए टग की मांग की गई सेवाओं के लिए "पोर्ट फ्लीट क्राफ्ट/फ्लोटिंग ड्रॉय डॉक के किराए पर लेने के लिए भाड़ों की अनुसूची" में निर्दिष्ट दरों में मानक दरों पर टग का किराया भाड़ा लगाए जाएंगे।

फुट नोट :—बिल की कुल राशि नजदीकी दस रुपए कर दी जाएगी।

[एफ० सं० पी० आर०-14011/9/88-पी जी]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 1989

G.S.R. 705(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), and in supersession of the Kandla Port Pilotage (Fees) Order, 1988, the Central Government hereby makes the following order for regulating the levy of fees of pilotage and other services in the port of Kandla :—

1. Short title and commencement :

(1) This order may be called the Kandla Port Pilotage (Fees) Order, 1989.

(2) It shall come into force at once.

2. Fees for pilotage :

Fees for pilotage in the Port of Kandla shall be as specified in the following schedule:

SCHEDULE OF PILOTAGE FEES

S. No.	Size of vessels	Pilotage fees per GRT or part thereof Rs. Ps.
1	2	3
1.	Upto 3000 GRT	3.96 Subject to minimum charge of Rs. 3960/- per vessel.
2.	3001 to 10,000 GRT	5.40
3.	10,001 to 15,000 GRT	4.80 Subject to minimum fees at the rate of Rs. 54,000/- per vessel.
4.	15,001 to 30,000 GRT	4.80
5.	30,001 to 60,000 GRT	4.56 Subject to minimum fees at the rate of Rs. 1,44,000 per vessel.
6.	60,001 to 1,00,000 GRT	4.56
7.	1,00,001GRT and above	4.56

Note : (1) The pilotage fees of a vessal shall be assessed on her total GRT (Gross Registered Tonnage) at the rate shown against only one of the above vessal groups according to GRT of that vessal.

(2) A rebate of 30% in the above rates shall be granted in respect of coastal vessels.

(3) Pilotage fees includes service of a pilot for inward and out ward pilotage, shifting operations, if any within the harbour limits and the attendance of the tug for the same and services of mooring launch. For this purpose shifting within the harbour limits at Kandla would mean shifting within/Kandla Creek upto entrance channel (Kandla bar).

Shifting at any vessel beyond entrance channel or vice versa shall be treated as additional pilotage act for which charge equal to 50% of pilotage fees prescribed above shall be levied or each such act of shifting beyond the entrance channel or vice versa.

3. SUBMISSION OF PILOTAGE REQUISITION

(i) When the services of a pilot are requisitioned for inward pilotage or outward pilotage or for shifting of a mechanically propelled vessel, a notice of not less than 12 hours before the time the pilot is required to board the vessel shall be given. Requisition submitted with less than the above prescribed notice period, may however, be accepted by the Harbour Master, subject to availability of pilots and subject to other exigencies, at the discretion of the Harbour Master.

(ii) Where the Harbour Master is satisfied that the pilot cannot be posted at the time and on the date mentioned in the requisition, due to non-availability of berth for the incoming ships, for due to tide timings and the like, the time and date for boarding the vessel by the pilot shall be fixed by the Harbour Master.

(iii) No requisition will, however, be required if a pilot is required to shift/attend a vessel in an emergency beyond the control of a master of the vessel, such as fire on board, dredging of anchor, and the like.

4. CANCELLATION OF PILOTAGE REQUISITION AND NON UTILISATION OF PILOTS.

(i) When the service of a pilot are requisitioned for the inward pilotage of a mechanically propelled vessel and if such requisition is cancelled by giving notice of less than three hours before the craft leaves, a cancellation fee of Rs. 3,600/- shall be levied. Similarly, when the services of a pilot are requisitioned for the outward pilotage of a mechanically prepelled vessels and if such requisition is cancelled by giving notice of less than 3 hoursfbefore the time fixed for the pilot to board the vessels along side the berth/jety, or before the craft leaves for thefpilot tofboard the vessels at Mooring or in stream, a cancellation fee of Rs. 3,600/- shall be levied.

(ii) Where a pilot goes to the pilot Station to pilot an incoming vessel in accordance with the requisition and if the pilotfhas to return due to non-arrival or late arrival of the vessel for resons beyond the central of the Master of the vessel or an account of any shipping casuality, grounding or fire on board the vessel, a fee of Rs. 6,000/- shall be levied. Similarly, where a pilot boards an outgoing vessel in accordance with the requisition and if the vessel is unable to sail due to stresses of weather or fouling of anchor chain or other circumstances beyond the control of the master, a fee of Rs. 6,000/- shall be levied.

(iii) Where a pilot goes to pilot station to pilot an incoming vessel in accordance with the requisition, and if the pilot has returned owing to reasons other than those mentioned above, a fee of Rs. 12,000/- shall be levied. Similarly, where a Pilot boards an outgoing vessel in accordance with the requisition or where the Pilot leaves in the craft for the vessel in mooring or stream, which is to be piloted and if the vessel is unable to sail after unberthing, of the vessel, or if the pilot has to return due to subsequent cancellation of requisition, or due to any reasons other than those mentioned above, a fee of Rs. 8400/- shall be levied.

(iv) Fees amounting to Rs. 6,000/- shall be levied for services rendered by a pilot to a vessel at Outer Tuna Buoy pilot Station.

(v) When a Pilot is required to attend a ship at the request of the Master or the Agent or at the discretion of the Harbour Master for work other thanfpiloting the ship in or out of the harbour or other than berthing or unberthing or shifting of the vessel, an attendance fee of Rs. 600/-per hour or part there of shall be levied.

5. FEES FOR DETENTION OF PILOT ON BOARD THE VESSEL AND FOR DETENTION OF TUG.

Detention fees of Rs. 960/- for pilot and detention fees of Rs. 2040/- for Tug per hour or part there shall be charged if the pilot is detained on Board the vessel to be piloted in or out or shifted for more than half an hour owing to any reasons except for reasons of stress of weather, desertion of crew or such other reasons beyond the control of the Master.

6. EXEMPTION FROM LEVY OF PILOTAGE FEES

(i) Pilotage will not be compulsory in case of vessels of 300 GRT and under. Such vessels may, however, ask for pilot if they so desire on payment of fees as specified in the Schedule of pilotage. fees.

(ii) Pilotage will not be compulsory for the vessels liconced under the Kandala Harbour Craft Rules, 1955 except at the time of initial entry and final departure outward.

(iii) All vessels except these in note (i) above, entering or leaving the port without pilot will in addition to all other penalties provided under the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) be liable to payment of pilotage fees as specified in the Schedule.

(iv) The rates specified in this part are pilotage fees from and upto 3.22 Kilometres (two miles) sea ward of the pilot station (Outer Tuna Buoy).

If however, a pilot is required to proceed more than 3.22 kilometres (two miles) seaward from the pilot station (Outer Tuna Buoy) to pilot a vessel, pilotage fees at double the rates as specified in this part shall be levied. Boarding of pilots shall be restricted to maximum of 9.66 kilometres (6 miles) saward from pilot station (Outer Tuna Buoy).

(v) The following fees for measuring and surveying vessels shall be levied:—

Vessel	Unit	Fees leviable (Rs.)
1. Under 1000 tons	Per vessel	Rs. 360.00
2. 1000 tons and above	For every 100 tons of vessel.	Rs. 72.00

7. When the pilot is required to attend the vessels which are grounding, drifting, etc., attendance fees of Rs. 600/- per hour or part thereof shall be levied. For the servicefof isitioned to attnd /tow such vessels, or other vessels for any other reasons, the tug hire charges at the rate prescribed in the 'Schedule of charges for hire of port floatin craft/loating dry dock' in the scale of rates shall be leviable.

Foot Note : The aggregate amount of bill shall be rounded off to the nearest rupees ten.

[F. No. PR-14011-9/88]

YOGENDRA NARIAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Dehli-110054, 1989